**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**लिखित प्रश्न संख्या: 1602**
**सोमवार, 3 अगस्त, 2026 (12 श्रावण 1948 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर**

## हवाई किरायों में वृद्धि का औचित्य

**1602. श्री नीरज डांगी:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने अत्यधिक हवाई किरायों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें यात्रियों के लिए शोषणकारी बताया है और सरकार से उन्हें यथाशीघ्र युक्तिसंगत स्तर पर लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि एयरलाइनों द्वारा दीपावली, क्रिसमस और यात्रा के अन्य व्यस्ततम मौसमों के दौरान बिना किसी उचित कारण के हवाई किरायों में अत्यधिक वृद्धि कर दी जाती है; और

(घ) यदि हाँ, तो त्योहारों और यात्रा के अन्य व्यस्ततम मौसमों के दौरान हवाई किरायों को विनियमित करने और उन्हें समुचित स्तर पर बनाए रखने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

**उत्तर**

**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)**

(क) से (घ): इस संबंध में वर्ष 2025 के अंत में भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई है और सुनवाई चल रही है।

मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरसन के बाद से, हवाई किराए सरकार द्वारा विनियमन के अधीन नहीं हैं। एयरलाइनों को वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 का अनुपालन करते हुए, किसी मार्ग विशेष पर अपनी परिचालन और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर हवाई किराया तय करने की स्वायत्तता है।

हवाई किरायों का निर्धारण आपूर्ति और मांग की शक्तियों से प्रभावित गतिशील उतार-चढ़ाव के अध्यधीन है। कई निर्धारक जैसे वर्तमान सीट अधिभोग, ईंधन की लागत, विमान क्षमता, मौसमी बदलाव और अन्य संबंधित कारक एयरलाइन टिकट की कीमत निर्धारण को काफी प्रभावित करते हैं।

एयरलाइन किराया प्रणाली कई स्तरों (बकेट या रिजर्वेशन बुकिंग डेसिग्नेटर) में चलती है जो वैश्विक रूप से अपनाई जा रही परिपाटी के अनुरूप है। सीटों की मांग बढ़ने के साथ-साथ किराया बढ़ता है क्योंकि कम किराया बकेट तेजी से बिक जाते हैं और उच्च किराए बकेट में चले जाते हैं। एयरलाइनों द्वारा अपनाया गया गतिशील मूल्य निर्धारण फ्रेमवर्क, कभी-कभी यात्रियों को व्यस्ततम समय के दौरान अथवा जब प्रस्थान की तारीख के नजदीक बुकिंग की जाती है, अधिक किफायती किराए प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जो प्रचलित बाजार स्थितियों पर निर्भर करता है।

सरकार बाजार प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए आम तौर पर हवाई किराए को विनियमित करने से बचती है, तथापि वह एक सतर्क निगरानीकर्ता की भूमिका में रहती है और विभिन्न सेक्टरों में क्षमता का पुनर्वितरण और अस्थायी किराया सीमा लगाने जैसे उपायों को अपनाकर आपवादिक परिस्थितियों जैसे कोविड महामारी, महाकुंभ जैसे त्योहारों अथवा पहलगाम घटना और इंडिगो उड़ान व्यवधानों जैसी अन्य असाधारण घटनाओं में हस्तक्षेप करती है।

हवाई किराए में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट (टीएमयू) की स्थापना की है, जो एयरलाइनों की वेबसाइटों का उपयोग करके मासिक आधार पर यादृच्छिक रूप से चयनित 78 मार्गों पर हवाई किराए की निगरानी करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनें स्वयं के द्वारा घोषित सीमा से अधिक हवाई किराया न वसूलें। यह घरेलू यातायात के लगभग 27% को कवर करता है। ऐसा करके, टीएमयू एयरलाइनों के निर्धारित टैरिफ की सीमाओं के भीतर हवाई किराया स्तर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

******